दीवानी / सामान्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	10/3/25 [illegible] 16/4/25 [illegible]
	16/4/25 [illegible] 21/07/25 [illegible]
21/7/25	वकील प्रार्थी उप० । अनुविभाग की तामील हेतु तलबाना प्राप्त हो पेश करे । अग्रिम दिनांक 1/9/25 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
01/8/25	पत्रावली पेश हुई । आदेश का मूलवाद जैसे आदेश किया कर दिया गया है । अब आदेश 12 RTI भी निशुल्क किया जाता है । पत्रावली कैलाश कुमार बनाम योगेश मूलवाद रहे । उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)